राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 / 1363 / 2023 दिनांकः— 03/05/2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः—नशा विरोधी जागरुकता अभियान के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग—3 उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या—812 / सत्तर—3—2023 दिनांक—02.05.2023 के साथ संलग्नक आबकारी विभाग के पत्र संख्या—587ई—2 / तेरह—2023—459473 दिनांक—20.03.2023 का अवलोकन करें।

संलग्न पत्र में महाविद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाने तथा मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले नुकसान एवं बचाव के बारे में जन जागरुकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्देशानुसार अपेक्षा की जाती है कि शासन के संलग्न पत्र एवं उसके साथ संलग्न आबकारी विभाग के पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

03/5/23
(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

03/05/23
सहा0 कुलसचिव

संख्या– 812 /सत्तर–3–2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 02 अप्रैल, 2023

विषयः–नशा विरोधी जागरूकता अभियान के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग के पत्र संख्या–587 ई-2/तेरह–2023–459473, दिनांक 20.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संलग्नक सहित कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.03.2023 के साथ संलग्न गृह मंत्रालय, भारत सरकार, आंतरिक सुरक्षा विभाग, नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो,लखनऊ के पत्र संख्या–III/132/LZU/Estt. /P&C/4301,दिनांक 13.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) में माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षारत बच्चों/छात्रों/युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाने तथा विद्यालय परिसरों, स्कूलों और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन से नुकसान एवं बचाव के बारे में जागरुकता बढ़ाने एवं नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान में दिये गये मसोदे के अनुरूप प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों को आयोजित कराने की अपेक्षा की गयी है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षा के कम में कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं अनुपालन आख्या उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को एक पक्ष में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि आबकारी अनुभाग–2 के पत्र संख्या–587 ई-2/तेरह–2023–459473, दिनांक 20.03.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 812 / [illegible]-2023

प्रमुख सचिव कार्यालय में
दिनांक 20/03/23

File No.13-02099/1673/2019- -2-

संख्या [illegible] /VIP/PSHED/2023

संख्या-587 ई-2/तेरह-2023-459473

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य/समाज कल्याण/गृह/
उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

VS(GKT)/VS(A)/SO-3

20.03.2023
(डा० सुधीर एम० बोबडे)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 20 मार्च, 2023

विषयः-नशा विरोधी जागरूकता अभियान के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, आंतरिक सुरक्षा विभाग, नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो, लखनऊ के पत्र संख्या-III/132/LZU/Estt./P&C/4301, दिनांक 13-03-2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भगत पत्र दिनांक 13-03-2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराते हुये माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षारत बच्चों/छात्रों/युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाने तथा विद्यालय परिसरों, स्कूलों और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन से नुकसान एवं बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में **जन जागरूकता अभियान** चलाये जाने हेतु **स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में** समस्त हितधारकों जैसे स्वास्थ्य विभाग, उच्च, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं गृह विभाग (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) को एकीकृत रूप से इस जन-जागरूकता अभियान को क्रियान्वित करने तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का अपेक्षित सहयोग परस्पर प्राप्त करते हुये DECATHLON कंपनी द्वारा अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने हेतु नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान में दिये गये सुझावों के अनुरूप प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में **"नशा मुक्त भारत अभियान"** के अंतर्गत कार्यक्रमों को आयोजित कराने का कष्ट करें।

984/VS(T)/23
45/S-3

21-3-23
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ0 प्र0 शासन।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
Signed by संजय आर. भूसरेड्डी
Date: 18-03-2023 19:45:01
Reason: Approved
(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

SO3
22/03/23 [illegible]
8
22.3.2023

संख्याः587(1) ई-2/तेरह-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को संदर्भगत पत्र दिनांक 13-03-2023 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज।
3. महानिदेशक, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
4. उप महानिरीक्षक, एएनटीएफ, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

संख्या- 587-ई-2/तेरह-2023
दि- 18/03/2023

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
आंतरिक सुरक्षा विभाग
नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो
B- 912, Sec- A, C.I.D. कॉलोनी, महानगर,लखनऊ
Telephone No. 0522– 2339410-11
Mail ID: vzu-ncb@nic.in

संख्या- III/132/LZU/Estt./P&C/ 430 | दिनांक- 13/03/ 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
आबकारी-उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय : नशा विरोधी जागरूकता अभियान के आयोजन के संबंध में।
संदर्भ : उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2 के पत्र संख्या 1659 ई-2/तेरह-2022 -459473 दिनांक 30.09.2022 के सन्दर्भ में |

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, की अध्यक्षता में आयोजित NCORD राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.09.2022 के कार्यवृत्त (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें |

2. इस विषय में विदित है कि राज्य स्तरीय NCORD समिति की उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त के अनुच्छेद 09 में निर्देशित किया गया है की लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम से जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाए |

3. इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 09.02.2023 की समीक्षा बैठक में **माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री ने महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के अतिरिक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है** | ततक्रम में माननीय गृहमंत्री के आदेश के अनुपालन में, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय ने सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने क्षेत्राधिकार के राज्यों **के मुख्य सचिव के सहयोग से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों** में शिक्षारत बच्चों/छात्रों/युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाने हेतु विशेष प्रयास करने का निर्देश जारी किया है |

4. इस संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम **"नशा मुक्त भारत अभियान"** को राज्य सरकारों के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय/विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्व विद्यालय परिसरों, स्कूलों और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन से नुकसान एवं बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है |

5. इस संदर्भ में यह प्रस्तावित है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जन जागरूकता के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान की अपेक्षित सफलता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु समस्त हित धारक एकीकृत रूप से राज्य के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को **नार्को कोरऑर्डिनेशन (NCORD)** के तत्वाधान में क्रियान्वित करें |

620
उप सचिव
कृ0 आ0 का0 करें।
16/03/23

(... आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव,
आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

502
17.3.2023

6. अत: आपसे अनुरोध है कि, उपरोक्त के संदर्भ में आबकारी विभाग, उ.प्र. राज्य की मादक पदार्थों की एक नामित नोडल एजेंसी के रूप में, समस्त हितधारकों जैसे स्वास्थ्य विभाग, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं गृह विभाग (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) को एकीकृत रूप से इस जन-जागरूकता अभियान को क्रियान्वित करने हेतु परामर्श प्रदान करें जिसमे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का अपेक्षित सहयोग परस्पर उपलब्ध रहेगा।

7. इस अपेक्षित दिशा निर्देश के साथ यह भी बताना अनिवार्य है कि अभी हाल में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ को **DECATHLON** कंपनी द्वारा अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने हेतु नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान में शामिल होने का एक मसौदा प्राप्त हुआ है जिसमें एक घंटे के सत्र में नशा विरोधी जागरूकता संवाद, युवाओं को जागरूक करने हेतु प्रेरक संवाद, क्विज़ एवं अन्य गतिविधियों के साथ शारीरिक फिटनेस एवं ज़ुम्बा सत्र जैसे कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।

8. अत: आपसे यह अनुरोध है कि इस संदर्भ में कृपया स्वास्थ्य विभाग को उपरोक्त मसौदे के अनुरूप प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में **"नशा मुक्त भारत अभियान"** के अंतर्गत कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु निर्देश प्रेषित करें जिसमे सभी हितधारको का एकीकृत सहयोग एवं सहभागिता हो।

9. इस विषय में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ से निम्न मोबाईल नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते है:

क्षेत्रीय निदेशक	8278201368
सहायक निदेशक	8278201369
अधीक्षक	8278201370

10. इस प्रस्ताव को आपके अनुमोदन एवं अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

1.3.3

(प्रशांत कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :

1. मुंख्य सचिव , उ.प्र. शासन । - **अग्रिम दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन हेतु**
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ.प्र.शासन ।
3. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र.शासन ।.
4. प्रमुख सचिव, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उ.प्र.शासन ।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन ।
6. प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा, उ.प्र.शासन ।
7. आयुक्त, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन ।
8. मंहा-निदेशक, स्वास्थ्य, उ.प्र.शासन ।
9. उप-महानिरीक्षक (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स), उ.प्र.शासन ।
10. निदेशक , समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन ।

} **सूचनार्थ** (2–10)